(131)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **के0सी0 जैन**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1768–एक / 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–10–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–736 / अपील / 2006–07.

.....

श्रीमती श्यामकली सिंह पुत्री स्व0 श्री महावीर सिंह
पत्नी श्री दिग्विजय सिंह,
निवासी–साकिम नीगा, तहसील–हुजूर
जिला–रीवा, म0प्र0

----------आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती रामकली सिंह पत्नी श्री बृजराज सिंह
निवासी– साकिम जोरोट, तहसील मउगंज,
जिला–रीवा

----------अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23.8.16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 53 / 2002–03 / निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15–10–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम पंचायत नीगा के द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 7 व नामांतरण पंजी क्रमांक 11 में पारित आदेश दिनांक 27.02.99 द्वारा आवेदिका के पक्ष में वारिसाना नामांतरण आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की, जहॉ अपील को स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रकरण क्रमांक 736/अपील/06–07 पंजीबद्ध होकर आदेश दिनांक 15.10.2007 को अपील सारहीन होने से अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि विचरण न्यायालय में पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर प्रस्ताव क्रमांक 7, नामांतरण पंजी क्रमांक 11 में दिनांक 27.02.99 को नामांतरण प्रमाणित किया गया, जिसमें अनावेदिका की सहमति थी लेकिन 5 वर्ष पश्चात अनावेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में 27.02.99 के नामांतरण पंजी निरस्त किये जाने की अपील प्रस्तुत की गई तथा धारा 5 म्याद अधिनिमय के आवेदन में विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया । फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.04.07 में सिर्फ इतना उल्लेख किया गया है कि धारा 5 म्याद अधिनिमय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 5 के आवेदन में निष्कर्ष नहीं दिया गया कि अपील समयसीमा के अन्दर किस आधार पर मान्य की गई है । अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश में तो धारा 5 का कोई उल्लेख ही नहीं किया है, जबकि आवेदिका के द्वारा प्रथम आपत्ति उल्लिखित की गई है जिससे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि के विपरीत है । उन्होंने तर्क में यह भी बताया कि वादग्रस्त भूमियां आवेदिका को पंजीकृत वसीयतनामा से प्राप्त हुई थी और उसी पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर अनावेदिका की सहमति से दिनांक 27.02.99 को नामांतरण प्रमाणित किया गया है तब जब तक पंजीकृत वसीयतनामा के वैधता की जांच नहीं कराई जाती । तब तक उक्त वसीयतनामा को संदिग्ध नही माना जा सकता । इस संबंध में पंजीकरण अधिनिमय 1980 की धारा 17 से

पंजीकृत वसीयतनामा को निरस्त किये जाने के सम्बध में कोई कार्यवाही किसी सक्षम न्यायालय में नहीं की गई है । तब प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं द्वितीय अपील न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि उक्त प्रमाणित पंजीकृत वसीयतनामा को अग्राहृय करें । लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त वसीयतनामा के आधार पर पारित आदेश को अवैध माना है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का अलोच्य आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषकगणों के तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मूल नांमातरण पंजी में इश्तहार जारी किया गया है लेकिन यह इश्तहार किस दिनांक को जारी किया गया है तिथि अंकित नहीं है । इसके अलावा रामसखी को पक्षकार बनाया गया है किन्तु रामसखी के पंजी में कहीं कोई हस्ताक्षर नहीं है। जबकि विवादित आराजी उभयपक्ष के पिता की थी तो अनावेदिका भी हितबद्ध पक्षकार थी। इसलिये उसे भी पक्षकार बनाया जाना चाहिये था तथा उसे भी अपना पक्ष रखने के पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये था । कोई भी नामांतरण आदेश हितबद्ध पक्षकार को सुनने व विधिवत इश्तहार प्रकाशित किये बिना नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने यही निष्कर्ष निकाला है जो पूर्णतः उचित है । फलतः प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वसीयत प्रमाणित है अथवा अप्रमाणित है के बिन्दु पर परीक्षण कर गुण—दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावे ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,